

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 28/सन-2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16.06.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 28/2025— 26 आवेदक धीरज कुमार, पिता— विरेन्द्र कुमार अग्रवाल, साकिन— धनवार, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— उपरैली धनवार, थाना नं०— 213 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— VII, पृष्ठ सं०— 57 पर विरेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता— कैलाश प्रसाद अग्रवाल, साकिन— धनवार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि दाखिल खारिज वाद सं० 250 /94—95 के द्वारा 3 मौजा यथा 1. मौजा— धनवार/214, 2. मौजा— उपरैली धनवार/213 एवं 3. मौजा— चादगर/200 की भूमि का एक साथ जमाबंदी धनवार मौजा के पंजी—II के भाग सं०— II के भाग सं०— 7 पेज नं०— 57 पर कायम है। ऑनलाईन में तीनों मौजा की भूमि का अलग-अलग जमाबंदी कायम किया गया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि केवाला अनुसार मौजा धनवार/214 के भाग सं०—7 पृष्ठ सं०—57 पर कायम जमाबंदी में से मौजा उपरैली धनवार/213 का खाता नं०—5 प्लॉट नं० 285, 272, 302, 306 का कुल रकवा 17.5 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी मौजा— उपरैली धनवार के ऑनलाईन पंजी— II में कायम करने की अनुशंसा की जाती है। आगे प्रतिवेदित करते हैं कि केवाला अनुसार मौजा धनवार /214 के भाग सं०—7 पृष्ठ सं०— 57 पर कायम जमाबंदी में से मौजा चादगर/200 का खाता सं० —15 प्लॉट नं० —104 रकवा— 0.5 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी मौजा— चादगर/200 के ऑनलाईन पंजी— II में कायम करने की अनुशंसा की जाती है। पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि केवाला अनुसार मौजा धनवार/214 के भाग सं०— 7 पृष्ठ सं०— 57 पर कायम जमाबंदी में से मौजा धनवार/214 के खाता संख्या— 230, प्लॉट सं०—104 रकवा 1.50 डी० तथा खाता सं०— 258, प्लॉट सं०— 225, रकवा— 09 डी० कुल दो प्लॉट का कुल रकवा— 10.50 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी मौजा—धनवार/214 के ऑनलाईन पंजी— II में कायम करने की अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	

अतः राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री एवं अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं आम इस्तेहार के उपरान्त निर्धारित समय तक कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में निम्न निदेश दिया जाता है : -

1. मौजा धनवार/214 के भाग सं०- 7 पृष्ठ सं०- 57 पर कायम जमाबंदी में से मौजा उपरैली धनवार/213 का खाता नं०-5 प्लॉट नं० 285, 272, 302, 306 का कुल रकवा 17.5 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी मौजा- उपरैली धनवार के ऑनलाईन पंजी- ॥ में कायम करने का आदेश दिया जाता है।
2. मौजा धनवार /214 के भाग सं०-7 पृष्ठ सं०- 57 पर कायम जमाबंदी में से मौजा चादगर/200 का खाता सं० -15 प्लॉट नं० -104 रकवा- 0.5 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी मौजा- चादगर/200 के ऑनलाईन पंजी- ॥ में कायम करने का आदेश दिया जाता है।
3. मौजा धनवार/214 के ऑनलाईन पंजी- ॥ में कायम जमाबंदी जिसका भाग सं०- 7 पृष्ठ सं०- 57 है उसमें खाता संख्या- 230, प्लॉट सं०-104 रकवा 1.50 डी० तथा खाता सं०- 258, प्लॉट सं०- 225, रकवा- 09 डी० कुल दो प्लॉट का कुल रकवा- 10.50 डी० भूमि का सुधार करने का निदेश दिया जाता है।
4. राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 07 श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल निरीक्षक, धनवार को निदेश दिया जाता है कि भौतिक पंजी - ॥ में उपरोक्त आदेश के अनुरूप सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

23/6.06.25
अंचल अधिकारी,
धनवार।

23/6.06.25
अंचल अधिकारी,
धनवार।